

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2638]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौष 5, 1936

No. 2638]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3275(अ)केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3426(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (पप) में तारीख 11 नवम्बर, 2013, को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ 7 में गांव “पदमपुरा” व “मंगलपुरा” जोड़ा जाएगा;

[फा. सं. एनएचआई/एलए/आरओजे/पीआईयू-सीकर/एनएच-65/2014]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी:— मूल अधिसूचना का.आ. 3426 (अ), तारीख 11 नवम्बर, 2013, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 11 नवम्बर, 2013, को प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

AMENDMENT

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 3275(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3426(E), dated the 11th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th November, 2013, namely:—

In the Schedule to the said notification,—

- (a) Against serial number 2, in column number 7, the village **“Padampura”** and **“Mangalpura”** shall be added ;

[F. No. NHAI/LA/ROJ/PIU-SIKAR/NH-65/2014]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note: The principal notification was published vide S.O. 3426(E), dated the 11th November, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part–II, Section 3, Sub–Section (ii), dated the 11th November, 2013.